भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 974

जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

रासायनिक उद्योगों पर जीएसटी दरों का प्रभाव

974. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों, भेषज उत्पादों और औद्योगिक रसायनों के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता पर जीएसटी दरों के युक्तिकरण के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो ऐसे आकलन का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या जीएसटी सम्बंधी परिवर्तनों से उर्वरकों और भेषज निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल और आहान की लागत में वृद्धि/कमी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उद्योग हितधारकों, उर्वरक निर्माताओं, भेषज संघों और राज्य सरकारों से जीएसटी युक्तिकरण के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा तेलंगाना सहित राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और
(ड.) क्या सरकार का किसानों और रोगियों को मूल्य स्थिरता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों और दवाओं में प्रयुक्त प्रमुख आहान पर जीएसटी दरों की समीक्षा करने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार जीएसटी परिषद के परामर्श से उर्वरकों, औषध उत्पादों और औद्योगिक रसायनों सहित प्रमुख क्षेत्रों पर जीएसटी दर के युक्तिकरण के प्रभाव पर आवधिक आकलन करती है। तदनुसार, सरकार ने 22.09.2025 से उर्वरकों और कृषि आदानों पर लागू माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों को युक्तिसंगत बनाया है। किए गए परिवर्तनों का विवरण निम्नानुसार है:

i. उर्वरक क्षेत्र:

क. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे प्रमुख कच्चे माल/ आदानों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

ख. सूक्ष्म पोषक-तत्वों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

ii. औषधीय उत्पादः

क अधिकांश दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है।

iii. औद्योगिक रसायन

क. प्राकृतिक मेंथोल (जैसे मेंथोल क्रिस्टल, पेपरमिंट/मेन्थऑयल, फ्रैक्शनेटेड या डी-टर्पेनेटेड मेन्थऑयल (डीटीएमओ), और डी-मेन्थोलाइज्ड ऑयल (डीएमओ), स्पीयरमिंट ऑयल और मेंथा पिपेरिटा ऑयल) से प्राप्त प्राकृतिक मेंथोल और वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

ख. सिंथेटिक मेंथोल पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।

ग कच्चे ग्लिसरीन पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण कच्चे माल/आदानों पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 5% करने से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का कम संचय होता है और नकदी प्रवाह में सुधार होता है, जिससे अधिक घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा किसानों को उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता में सहायता मिलेगी। सूक्ष्म पोषक उर्वरकों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% होने से किसानों की प्रति एकड़ खेती की लागत कम हुई है, जिससे उनको काफी वित्तीय राहत मिली है विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, जो प्रायः आदान कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। कम आदान लागत होने से किसानों के लिए अनुशंसित सूक्ष्म पोषक खुराक को अपनाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है। इंडियन माइक्रो-फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार, जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने से किसानों को धान में प्रति एकड़ 140 रुपये, गन्ने में प्रति एकड़ 199 रुपये, आलू में प्रति एकड़ 446 रुपये और गेहूं में प्रति एकड़ 146 की बचत होगी।

अधिकांश दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। तदनुसार, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दिनांक 12.09.2025 और 13.09.2025 को कार्यालय ज्ञापन जारी किए, जिसमें फार्मास्युटिकल कंपनियों को जीएसटी दरों में कमी के कारण अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को कम करने का निर्देश दिया गया ताकि उपभोक्ताओं को करों के कम होने का लाभ दिया जा सके।

सरकार ने प्राकृतिक मेंथोल (जैसे मेंथोल क्रिस्टल, पेपरमिंट/मेन्थऑयल, फ्रैक्शनेटेड या डी-टर्पेनेटेड मेन्थऑयल (डीटीएमओ), और डी-मेन्थोलाइज्ड ऑयल (डीएमओ), स्पीयरमिंट ऑयल और मेंथा पिपेरिटा ऑयल) से प्राप्त प्राकृतिक मेंथोल और वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है ताकि इन उत्पादों के विनिर्माताओं को सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, सिंथेटिक मेंथोल पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इसके अलावा, घरेलू निर्माताओं का सहयोग करने के लिए, कच्चे ग्लिसरीन पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

(ग) और (घ): उर्वरक उद्योग, औषध उद्योग या रासायनिक उद्योग से जीएसटी युक्तिकरण के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ.): जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर निर्धारित की जाती हैं। सरकार दर संरचना की लगातार समीक्षा करती है और उद्योग की फीडबैक, राज्यों की सिफारिशों और किसानों और रोगियों के लिए मूल्य की स्थिरता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता के आधार पर संशोधन के किसी भी प्रस्ताव की जांच की जाती है।

****